रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-277006
SG-DL-E-09102026-277006

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300]	दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 5, 2026/आश्विन 13, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 243
No. 300]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2026/ASVINA 13, 1948	[N. C. T. D. No. 243

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह–एफएसएल विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2026

फा. सं. 2(114)/एफएसएल/स्था0/भर्ती नियम/जेएसओ (एचआरडी/क्यूसी) 2024/723 .— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (मानव संसाधन विकास/गुणवता नियंत्रण) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (1) इन नियमों को कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (मानव संसाधन विकास/गुणवता नियंत्रण) फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, भर्ती नियमावली, 2026 कहा जाए।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :–उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचावः**— इन नियमों में किसी उल्लेख से भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (एचआरडी/क्यूसी)**
2.	**पदों की संख्या**	:	01*(2026) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ''ख'', राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—07 (44,900—1,42,400/रुपये—)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर—चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति**	:	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके ने होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है**	:	**पदोन्नति** : स्तर में 05 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन स्तर–06 (35400–112400/–रुपये) में विभागीय वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (एचआरडी/क्यूसी) में से। **टीप** :– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :** भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त या वैधानिक संगठनों के अधिकारीः– (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में स्तर–6 (रुपये 35,400–1,12,400/–) में नियमित आधार पर पद पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदत्त 5 वर्षों की सेवा; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं रखने वाले। **अनिवार्यः**– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान या अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान या गणित या कंप्यूटर विज्ञान या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणि विज्ञान या फोरेंसिक विज्ञान या मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री। **वांछनीयः**– लागू नहीं। **टीप 2**:– भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। **टीप 3**:– भारत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	**समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) तथा विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ)**

			1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **अध्यक्ष** 2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** 3. संबंधित शाखा के प्रधान निदेशक/निदेशक, एफएसएल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** 4. **समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समितिः** लागू नहीं (अध्यक्ष) **टीप** :– यदि विभागीय पदोन्नति समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।?**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रमेश कुमार, उप–सचिव (गृह विभाग)

HOME-FSL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th October, 2026

F. No. 2(114)/FSL/ESTT/RR/JSO/(HRD/QC)/2024/723.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification no. F-27/59-him (i) dated the 13thJuly,1959, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post Junior Scientific Officer (Human Resource Development/Quality Control) in Forensic Science Laboratory, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement–

(i) These rules may be called the **Junior Scientific Officer (Human Resource Development/Quality Control) Forensic Science Laboratory Recruitment Rules, 2026**

(ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix –The number of the said post, its classification and pay level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc:-The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification:- No person,-

(a) Who has entered in to or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

1. **Power to relax:-**Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

2. **Saving: -**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**Number of Post**	**Classification**	**Pay Level in the Pay Matrix**	**Whether Selection or Non Selection Post**	**Age Limit for Direct Recruits**	**Educational and Other Qualifications required for direct recruits**
1	2	3	4	5	6	7
Junior Scientific Officer (HRD/QC)	01* (2026) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Level-07 (Rs. 44,900-1,42,400) in the Pay Matrix	Selection	NA	NA

Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment**	**In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
8	9	10	11	12	13
NA	NA	100 % by Promotion failing which by deputation (including short term contract)	**Promotion:** From amongst Departmental Senior Scientific Assistant (HRD/QC) in pay level-6 (Rs. 35400-112400) with 05 years regular service in the level. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers under the Government of India or State Government or	**Group 'B' DPC (for Promotion) & DCC (for confirmation)** 1. ACS/Pr. Secretary/ Secretary (Home), Government of N.C.T. of Delhi - Chairman 2. ACS/Pr. Secretary/ Secretary (Services), Government of N.C.T. of Delhi - Member 3. Pr. Director/Director of the concerned discipline, FSL, Govt. of NCT of Delhi - Member **Group 'B' Departmental Confirmation Committee:** NA (Chairman) **Note:** Senior most member of the Departmental Promotion Committee shall act as	Consultation with U.P.S.C. is not necessary.

			Union Territory Administrations or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organizations:- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; OR (ii) With 05 years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 6 (35400-112400) in the parent cadre/department; and (b) Possessing the following educational and other qualifications: **Essential:-** (i) Master's degree in Physics or Applied Physics or Mathematics or Computer Science or Chemistry or Botany or Zoology or Forensic Science or Psychology from a recognized University. **Desirable:** Not applicable **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of Government of India shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications	Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.	

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

RAMESH KUMAR, Dy. Secy. (Home Department)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA